(254)

निग0-4506/2018/रीवा/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान् रेवेन्यू बोर्ड प्राधिकार कैम्प रीवा,

जिला–रीवा(म.प्र.)

महावीर तनय स्व0 लक्ष्मी प्रसाद ब्राम्हण, उम्र–72 साल, पेशा–खेती, निवासी गाम–बहुरी बांध तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

बनाम

1– संदीप कुमार पिता श्री स्वामीदीन, निवासी गाम–बहुरी बांध तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

2– हर प्रसाद पिता श्री मनराखनराम निवासी गाम–बहुरी बांध तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) (फौत)

3– शासन म0प्र0

———गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारीमहोदय तहसील हुजूर, जिला–रीवा के प्रकरण कमांक–206/अपील/17–18 मे पारित आदेश दिनांक 11.07.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1– यह अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी नंबर–563 रकवा 2.81 पूरा रकवा 1349/1 रकवा 1.73 हे0, आराजी

महावीर

(254)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 4506 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला–रीवा

महावीर ब्रा0 / संदीप कुमार

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री महेश तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूरं, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 206 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 11.07.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	